न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–1,भदोही–ज्ञानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–156 सन 2017

राज्य.....बनाम.....नन्हें उर्फ छेदी आदि।

अपराध संख्या–142 सन 2017
धारा–147,148,149,308,370,
323,504,506,452,336
भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा
7/8 पाक्सो अधिनियम।
थाना–औराई,जिला–भदोही।

17.08.2017

31 ख प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र 32 ख प्रार्थी/अभियुक्त हलीम पुत्र नन्हे उर्फ छेदी निवासी वार्ड नम्बर 13 नगर पंचायत घोसिया थाना–औराई, जिला–भदोही की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसमे यह कथन किया गया है कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में ज्ञानपुर कारागार में बन्द है। प्रार्थी की पत्नी सीमा बेगम की मृत्यु दिनांक 14.08.2017 को हो गई है, जिसके शव का दफन दिनांक 15.08.2017 को हुआ है। उसकी पत्नी सीमा बेगम की मृत्यु के सम्बन्ध में चहारुम दिनांक 17.08.2017 को होना है। न्याय की दृष्टि से प्रार्थी को ज्ञानपुर कारागार से पुलिस कस्टडी में प्रार्थी के निवास स्थान घोसिया के लिए प्रार्थी की पत्नी सीमा वेगम की चहारुम के अवसर पर फातिहा पढ़ने के लिए ज्ञानपुर कारागार से पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने की अनुमति दिए जाने याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह याचना की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त जो कि न्यायालय में मुकदमा अपराध संख्या–142 सन 2017, धारा 147,148,149,308,370,336,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7/8 पाक्सो ऐक्ट में निरुद्ध है, को पुलिस कस्टडी में उसकी पत्नी की मृत्यु पर उसे फातिहा पढ़ने के लिए भेजा जाय। इस सम्बन्ध में कोई विधिक प्राविधान विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को पत्रावली में होने वाली कार्यवाहियों के तहत ही न्यायालय में तलब किया जा सकता है। पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को निवास स्थान पर जाने के लिए आदेशित करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 31 ख निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 31 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1,भदोही–ज्ञानपुर।